

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बागोडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- गाली

राजीनामा प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय,
बागोडा

दिनांक 12/6/18

सुरवाराम नेगेर बनाम रामुराम नेगेर

प्रकरण संख्या :- 45 82, 182 RHAed अन्तर्गत धारा

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री सुरवाराम सुरवाराम का निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :- सरहद मौजा जोबडी के ग्रन्थ ख. नं. 390 रुबा 3-28 ई.

ख. नं. 396 रुबा 1-54 ई. ख. नं. 1082 रुबा 1-45 ई. ख. नं. 1074 रुबा 4-27 ई. ख. नं. 997 रुबा 0-07 ई.
कुल रुबा 9-61 ई. प्रश्नी होने से उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीक. 1 व 2 प्रम. 3
अ 117-117 हिस्सा की खोदवारी कोपना की डीपी जारी की जाकर
सामान्य रेडर्स में सम्मिल करारक किया जाव।

नि. सुरवाराम
दोलास/11
जोरधराम
कसो

अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष
1. सुरवाराम
2. सुरवाराम

प्रतिवादी पक्ष
1. रामुराम
2. रामुराम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(वादी पक्ष) नाम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
(प्रतिवादी पक्ष) नाम

प्रार्थी/वादी सुरवाराम एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी रामुराम

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया।

अतः राजीनामा हसबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बागोडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मुरारी लाल शर्मा P.A.S.

उनवान

सुराराम

बनाम

राधाराम

दावा बाबत खातेदारी दस्तावेजी विवेचाना

मुकदमा :-

निर्णय दिनांक :- 12/6/18

वादी की ओर से सुराराम की व प्रतिवादी की ओर से राधाराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12/6/18 को मुरारी लाल शर्मा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - सरहद मौजा जोबडी के नये ख.नं. 290 रकबा 2.28 ई. ख.नं. 991 रकबा 1.54 ई. ख.नं. 1082 रकबा 1.45 ई. ख.नं. 1074 रकबा 1.27 ई. ख.नं. 977 रकबा 0.07 ई. कुल रकबा 9.67 ई. पुस्तनी होने के अन्तर्गत राधाराम के अधीन व प्रिल.नं. 1 व 2 उपपेड डा 1/7-1/7 दिवसों की खातेदारी घोषणा की डिक्री जारी की जाकर सरहदीदार कागोडा की राजस्व रेकॉर्ड में अमल परामर्श देते की वहीर जारी की।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 12/6/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी

M.P. Khan
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर बागोडा

वाद के खर्चे

बागोडा

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		कमिश्नर की फीस	
6. कमिश्नर की फीस		आदेशिका की तामिल	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड			